



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



14 ज्येष्ठ, 1946 (श०)

संख्या - 353 राँची, मंगलवार,

4 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 मार्च, 2024

संख्या-12/ पद-01-02/2020 का० 1664--श्री रणजीत कुमार, (झा०स०आ०से०), प्रधान आप्त सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए आप्त सचिव कोटि के रिक्त पद को प्रधान आप्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर जल संसाधन विभाग में पदस्थापित करते हुए माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के कोषांग में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

संख्या-12/पद-01-02/2020 का० 1665--श्री उदय शंकर (झा०स०आ०से०), प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए आप्त सचिव कोटि के रिक्त पद को प्रधान आप्त सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए जल संसाधन विभाग में पदस्थापित करते हुए माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के गोपनीय कोषांग में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

संख्या-12/पद-01-02/2020 का० 1666--श्री कमलेश कुमार, (झा०स०आ०से०), आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव ।
